सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व वाद संख्या 89/2016

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प –नून्द्री मालदेव

श्रीमति सूरजकंवर वयस्क पत्नि श्री पूरणमल जी बम्ब जाति जैन महाजन निवासी 40–41 मुणोत कॉलोनी, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0

––––––वादीया

ब ना म

1– श्री देवीसिंह वयस्क पुत्र श्री कालू जी जाति रावत
निवासी ग्राम सेदरिया तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, ब्यावर

3– श्रीमान् उपपंजीयक अधिकारी महोदय, ब्यावर

4– राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, अजमेर

–––––प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अंतिम निर्णय दिनांक 14.5.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट नून्द्री मालदेव में पेश हुआ। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.1.2018 को निर्णय व प्रारंभिक डिक्री पारीत की गई। जिसके तहत तहसीलदार ब्यावर को पत्र क्रमांक 822 दिनांक 31.1.2018 को डिक्री की पालना हेतू तहरीर जारी की गई। अनुपालना में तहसीलदार ब्यावर ने बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर केंप कोर्ट में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में यथाप्रस्ताव बंटवारा की डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्वोपान्त अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य होंने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार मौजा सेदरिया तहसील ब्यावर जिला–अजमेर स्थित खसरा नंबर 175/1 रकबा 00–15–00 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया है, को वादीया श्रीमति सूरजकंवर खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा नंबर 175/2 रकबा 00–04–00 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शाया गया है, को प्रतिवादी संख्या 1 देवीसिंह कौम रावत खातेदार के हिस्से में रखे जाने तहसीलदार ब्यावर को यथानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम करने एंव लगान कायम करने तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.5.2018 को मेरे द्वारा कोर्ट केंप नून्द्रीमालदेव में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

अंतिम डिगरी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर व अजलाम पीयुष समारिया आई. ए. एस.

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प –नून्द्री मालदेव

राजस्व वाद संख्या 89/2016

श्रीमति सूरजकंवर वयस्क पत्नि श्री पूरणमल जी बम्ब जाति जैन महाजन निवासी 40–41 मुणोत कॉलोनी, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0

––––––वादीया

ब ना म

1– श्री देवीसिंह वयस्क पुत्र श्री कालू जी जाति रावत
निवासी ग्राम सेदरिया तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, ब्यावर

3– श्रीमान् उपपंजीयक अधिकारी महोदय, ब्यावर

4– राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, अजमेर

–––––प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादीया – श्री रामपालकुमावत

अधिवक्ता प्रतिवादीगण – एकतरफा

अधिवक्ता प्रतिवादी सं.2से4 – पेरोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर

मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :– 89/**2016**

निर्णय/डिक्री दिनांक :– **14.05.2018**

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट नून्द्री मालदेव में पेश हुआ। पेरोकार सरकार उपस्थित। मज़में आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.05.2018 को पीयुष समारिया (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट नून्द्रीमालदेव में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि –

मज़में आम में रूबरू मोतबिरान पूछताछ एवं बंटवारा प्रस्ताव अनुसार मौजा सेदरिया तहसील ब्यावर जिला–अजमेर स्थित खसरा नंबर 175/1 रकबा 00–15–00 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया है, को वादीया श्रीमति सूरजकंवर खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा नंबर 175/2 रकबा 00–04–00 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शाया गया है, को प्रतिवादी संख्या 1 देवीसिंह कौम रावत खातेदार के हिस्से में रखे जाने तहसीलदार ब्यावर को यथानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम करने एंव लगान कायम करने तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

आज तारीख 14.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पीयुष समारिया)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

....................लगातार

अंतिम डिग्री मुकमदा इब्तदाई
श्रीमती सूरजकंवर बनाम श्री देवीसिंह व अन्य
राजस्व वाद संख्या 89/2016
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – नून्द्री मालदेव

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर

(पीयूष समारिया)
आई०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर